संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018 : श्रावण कृष्ण 14 वि. 2075

मन की शांति से बड़ा सुख कोई और नहीं

उल्लेखनीय जीत

राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में राजग प्रत्याशी के रूप में जनता दल-यू के सांसद हरिवंश की जीत इसलिए कहीं अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि एक तो उच्च सदन में बहुमत न होने के बाद भी सत्तापक्ष को विजय हासिल हुई और दूसरे करीब चार दशक बाद यह पद किसी गैर कांग्रेसी दल के खाते में गया। राजग का नेतृत्व कर रही भाजपा को यह जीत एक ऐसे समय मिली जब विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सत्तापक्ष के हरिवंश ने विपक्ष के बीके हरिप्रसाद को मात देकर यही रेखांकित किया कि कम से कम कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन का आकार लेना उतना सहज-सरल नहीं जितना आभास कराया जा रहा है। विपक्षी खेमें में सब कुछ ठीक नहीं, यह तभी प्रकट हो गया था जब महागठबंधन की पैरवी करने वाले दलों ने यह जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही डाल दी थी कि वह राज्यसभा उपसभापति के लिए अपने ही सदस्य को प्रत्याशी बनाए। इससे यही संकेत मिला कि वे या तो जीत को लेकर सुनिश्चित नहीं थे या फिर कांग्रेस से निकटता बढ़ाते हुए नहीं दिखना चाह रहे थे। ध्यान रहे विपक्षी दलों में कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस विरोधी राजनीति की उपज हैं। चुनाव नतीजे से यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वैसी लामबंदी नहीं की जैसी जरूरी थी। उसकी रणनीति जो भी रही हो, उसे अपने रवैये को लेकर सवालों का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है कि वह इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के प्रति गंभीर नहीं दिखी। दरअसल इसी कारण हरिप्रसाद के मुकाबले हरिवंश को कहीं ज्यादा वोट मिले। समझना कठिन है कि कांग्रेस ने कुछ विपक्षी और तटस्थ से दिख रहे दलों से संवाद-संपर्क क्यों नही किया? विपक्ष के विपरीत सत्तापक्ष का काम इसलिए आसान हो गया, क्योंकि अन्नाद्रमुक और टीआरएस जैसे दलों के साथ बीजद भी उसके पाले में आ गया। इसी के साथ अभी कल तक और यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव के समय भाजपा से दूरी और नाराजगी जाहिर करने वाली शिवसेना ने हरिप्रसाद की हार सुनिश्चित की। अभी यह कहना कठिन है कि वह राजग का हिस्सा बनी रहेगी या नहीं, लेकिन यह संकेत तो मिला ही कि वह भाजपा के साथ अपने संबंधों को लेकर फिर से विचार कर रही है।

यह अच्छा हुआ कि पत्रकार से सांसद बने हरिवंश के राज्यसभा उपसभापति निवार्चित होते ही विपक्ष ने भी उन्हें बधाई दी। लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है। हरिवंश का राज्यसभा का उपसभापति बनना यह भी बताता है कि भाजपा और जद-यू का साथ और प्रगाढ़ हुआ है। भाजपा के घटक दल के किसी नेता को प्रतिष्ठित पद मिलने से गठबंधन धर्म को मजबूती मिलती हुई दिखी है। यह मजबूती भाजपा के नए सहयोगियों की तलाश सहायक बन सकती है। निःसंदेह लोकसभा चुनाव तक सत्तापक्ष और विपक्ष के समीकरणों में अभी और बदलाव होते रह सकते हैं, लेकिन अच्छा यह होगा कि राज्यसभा वरिष्ठों के सदन के रूप में ही नजर आए। उम्मीद है कि हरिवंश का पत्रकारिता का लंबा अनुभव राज्यसभा के काम-काज को और सुगम बनाने के साथ ही संवाद और सहयोग भाव को बल प्रदान करेगा।

महिलाओं पर अत्याचार

प्रगति के तमाम दावों के बीच धार्मिक कुरीतियों की आड़ लेकर मुस्लिम महिलाओं के प्रति अत्याचार, अपमान और शारीरिक शोषण की घटनाएं हर सभ्य नागरिक को शर्मसार करने वाली हैं। जिस दौर में महिलाएं सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, उस वक्त विवाह जारी रखने के लिए किसी महिला को ससुर, देवर, बहनोई, ननदोई, पड़ोसी, दोस्त और न जाने किस-किसकी हवस का शिकार बनने के लिए बाध्य करना कबीलाई मानसिकता के सिवा कुछ नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार के ऐसे मामले पूरे देश, बल्कि दुनिया में हो रहे हैं यद्यपि जब इन कुरीतियों के खात्मे का इतिहास लिखा जाएगा तो इनके खिलाफ जंग शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा।

> औरत सृष्टि की जननी है। ऐसा कौन धर्म है जो औरतों के इस कदर अपमान और उत्पीड़न की अनुमति देता है

केंद्र सरकार भी महिलाओं के प्रति अत्याचार की दिल दहलाने वाली कबीलाई कुप्रथाओं के समापन के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। बहरहाल, इससे पहले ही प्रदेश के मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने एक साथ तीन तलाक और हलाला जैसी कारस्तानियों को गैर-शरई घोषित करने का साहस दिखाकर मील का पत्थर स्थापित किया है। सरकार और समाज का समर्थन देखते हुए तय है कि तीन तलाक और हलाला जैसी कुरीतियां अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगी यद्यपि कुछ दकियानूसी संगठन और व्यक्ति, जिनमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, अब भी इसे शरीयत का हिस्सा साबित करने पर आमादा हैं। औरत सृष्टि की जननी है। इस देश में उसे दिव्य दर्जा प्राप्त है। ऐसा कौन धर्म है जो औरतों के इस कदर अपमान और उत्पीड़न की अनुमति देता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अब तमिलनाडु की राजनीति में रजनीकांत और कमल हासन की नई पार्टियों के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी?

आज का सवाल

क्या बिहार में मंजू वर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने में देरी कर दी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

समन्वय के अभाव से जूझती शिक्षा

जगमोहन सिंह राजपूत

राज्यों में शिक्षा विभाग से जुड़े चार-पांच मंत्रियों का होना आश्चर्यजनक नहीं। केंद्र में भी अब स्कूली और उच्च शिक्षा को दो विभागों में बांट दिया गया है

यह महत्वपूर्ण है कि शैक्षिक मोर्चे पर बदलाव को लेकर गहन विचार-विमर्श शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के स्थान पर एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने का बिल तैयार है। अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एनसीटीई एक्ट में परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी संशोधित किया गया है। नए प्रावधान के अनुसार कक्षा पांच और आठ में परीक्षा होगी। एक बार असफल होने पर बच्चों को दूसरी बार भी अवसर दिया जाएगा कि वह उसी वर्ष पुनः परीक्षा देकर सफल हो जाए। अनेक लोग इस नीति परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को लगता है कि यह किया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति भी आने वाली है और अपेक्षा करनी चाहिए कि शैक्षिक सुधारों और परिवर्तनों को भविष्य में समग्र दृष्टि से देखा जाएगा और उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। पिछले पांच दशकों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में दुनिया भर में अनेक देशों ने भाग लिया है। इस प्रक्रिया में सभी को अत्यंत लाभकारी अनुभव भी हुए हैं। आशा करनी चाहिए कि इनका लाभ उठाकर जो नीति और उसके क्रियान्वयन की जो रूपरेखा बनेगी उसकी गतिशीलता, उपयोगिता एवं सार्थकता युवाओं के समक्ष नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। देश में शिक्षा को नीति और प्रशासन में सुविधा के नाम पर कई भागों में बांट दिया जाता है। राज्यों में अक्सर ही शिक्षा विभाग से जुड़े चार-पांच मंत्रियों का होना आश्चर्यजनक नहीं माना जाता। केंद्र में भी अब स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को दो स्पष्ट विभागों में बांट दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा और उनके सचिव अलग-अलग हैं। केंद्र में मेडिकल और कृषि शिक्षा अलग मंत्रालयों से संचालित होती है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार उनमें समन्वय का अभाव जगजाहिर है। शिक्षा की गतिशीलता ही उसकी उपयोगिता और स्वीकार्यता निर्धारित कर सकती है। जब जमीनी अनुभव की अनदेखी कर विदेशों में अच्छी समझी जाने वाली नीतियों को अपनाया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता बढ़ जाती है।

कक्षा दस की परीक्षा को वैकल्पिक बनाना और कक्षा आठ तक परीक्षा को समाप्त करना ऐसी ही नीतियां थीं जो सिद्धांत रूप में सही थीं, मगर मूल आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में उनसे अपेक्षित लाभ हासिल नहीं होता। निजी स्कूलों में जहां छात्र-अध्यापक अनुपात उचित था, अध्यापकों में अनुशासन था, प्रबंधन अपना कार्य कर रहा था, विद्यार्थियों को कक्षा आठ तक परीक्षा न होने से कोई हानि नहीं हुई। सबसे अधिक हानि उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हुई जहां न तो नियमित अध्यापक थे, न ही छात्र-अध्यापक अनुपात सही था, न ही नियमित प्राचार्य और अनुशासन था। बच्चों ने क्या सीखा या नहीं सीखा, इसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं बनाया गया। परिणामस्वरूप अनेक सर्वेक्षणों में अत्यंत चिंताजनक स्थितियां सामने आईं और नीतिगत परिवर्तन आवश्यक हो गया। यदि कक्षा पांच के आधे विद्यार्थी कक्षा दो की पुस्तक न पढ़ सकें या तीन और सात का गुणनफल न बता सकें तो यह चिंताजनक है।

नई शिक्षा नीति के आने के पहले ही उसे लागू करने की तैयारी प्रारंभ हो जानी चाहिए। सुधार के अनेक आयाम तो अनेक दशकों से सर्वविदित हैं। आज से 50 साल पहले शिक्षा की प्रत्येक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय चर्चा-परिचर्चा में लगभग हर बार चार पक्षों का जिक्र किया जाता था और यह माना जाता था कि इनमें वे सभी पक्ष अंतर्निहित हो जाते हैं जो किसी भी सफल नीति निर्धारण के अंग बनते हैं। ये चार पक्ष हैं-किसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, कौन पढ़ाए और कैसे पढ़ाएं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि छात्र, पाठ्यक्रम, विधा और अध्यापक चार सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं। इनमें सुधार की प्रक्रिया तो अभी से प्रारंभ होनी चाहिए। विद्यार्थी को पूरी तरह समझना, उसकी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियों को जानना, जो ज्ञान और समझदारी लेकर बच्चा स्कूल में आता है उसका अनुमान लगाकर आगे बढ़ाना होगा। मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के बाद भी बच्चे कुपोषित क्यों रह जाते हैं? इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है? प्रारंभिक कक्षाओं में यह सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर रचनात्मकता के विकास की नींव पड़ती है, बच्चे के विचारों और संकल्पनाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है। पाठ्यक्रम में स्थानीयता को अवसर मिले, अध्यापक स्वयं इसका निर्धारण कर सकें और भाषागत समस्याएं न पैदा हों और यह तभी संभव है जब अध्यापक और बालकों का संबंध भी सजीव और सजग बनने के साथ निरंतर हो।

यानी इसके लिए अध्यापक-छात्र अनुपात सही हो, अध्यापक की उपस्थिति की निरंतरता में अनावश्यक व्यवधान न हो! पाठ्यक्रम समय के साथ और आयु एवं स्तर के साथ बदलेगा। इसे स्थानीयता से क्षेत्रीयता, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना होगा। 'कौन पढ़ाए' में अध्यापक का व्यक्तित्व संपूर्णता में समाहित हो जाता है। उसका आचार, विचार, व्यवहार, सीखने की प्रवृत्ति और ललक, आत्मविश्वास तथा अपने कार्य में रुचि और तन्मयता जैसे पक्षों पर हर विद्यार्थी का ध्यान जाता ही है। इसीलिए शिक्षा में अग्रणी देशों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षक-प्रशिक्षकों की गुणवत्ता से ही आगे चलकर अन्य सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता का स्तर निर्धारित होता है। भारत में इस समय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यहां व्यापारीकरण तेजी से बढ़ा है और इससे निपटने के प्रयासों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अध्यापकों की गुणवत्ता में कमी रोकी जानी चाहिए। पढ़ा वही सकता है जिसे नया सीखने में रुचि हो, जो अपने अध्यापन में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने को तत्पर रहता हो! मौजूदा दौर में हर एक अध्यापक का प्रशिक्षण आधुनिक विधियों द्वारा होना आवश्यक है। आज के संचार-तकनीकी युग में 'कैसे पढ़ाएं' एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रश्न बन गया है। सीखने के स्रोतों का विस्तार हुआ है। उनमें बदलाव भी आता जा रहा है। अब वही सिखा सकेगा जो स्वयं लगातार सीखता रहे। हर नई संचार तकनीक और सुविधा और उपकरण या गैजेट का उपयोग लाभकारी होगा, मगर इसके उपयोग के साथ संभावित दुरुपयोग से अध्यापक का परिचित होना भी आवश्यक होगा।

केंद्र सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक सुधार कर रही है। यदि राज्य सरकारें भी अभी से अपनी व्यवस्था चाक-चौबंद करने में लग जाएं तो निश्चित ही अगले तीन-चार वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में सभी को व्यापक सुधार नजर आने लगेंगे। इसके लिए अध्यापकों की नियुक्तियों को गति दी जाए, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था को संभाला जाए और पाठ्यक्रम परिवर्तन में तेजी लाई जाए, संचार एवं तकनीकी उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। लोगों में विश्वास जगाया जाए कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का हरसंभव प्रयास होगा। स्कूली शिक्षा में सुधार की चर्चा पर अक्सर प्रतिक्रिया कुछ यूं होती है कि यह तो लगातार कहा जाता है, मगर स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। इसे बदलने के लिए स्कूली शिक्षा को पहले सुधारना होगा तभी उच्च शिक्षा में बड़े स्तर पर गुणवत्ता सुधार संभव है।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

परोपकार की उपेक्षित परंपरा

उदय प्रकाश अरोड़ा

> यह समय की मांग है कि भारत में भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे समाजसेवी फाउंडेशन स्थापित किए जाने चाहिए

एक के बाद एक अध्ययन और सर्वेक्षण भारत में असमान विकास को रेखांकित कर रहे हैं। ऐसे भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि गैर बराबरी के बीच भारत में अति अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के तहत अपने देश में कुल 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत की गिनती उन देशों में होती है जहां बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है वहीं अमेरिका और चीन के बाद अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या भारत में बताई जाती है। यदि यह वर्ग निर्धनता निवारण में हाथ बंटाए तो गरीबी कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन भारत में बिल गेट्स जैसे अरबपति कम ही हैं। अपने देश में ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि अमुक अरबपति ने बेटे या बेटी की शादी में करोड़ों रुपये खर्च किए। इस तरह की खबरें भी आम हैं कि धार्मिक स्थल विशेष में चंदे का रिकार्ड कायम हुआ। कुछ बड़े धार्मिक स्थलों में हर वर्ष चंदे की राशि पिछले रिकार्ड को पार करती है। यह सैकड़ों करोड़ रुपये में होती है। धर्म स्थलों के निर्माण में भी लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। हाल में गुजरात में पाटीदार समुदाय के लोगों ने एक मंदिर परिसर के निर्माण के लिए केवल तीन घंटे में डेढ़ सौ रुपये एकत्र किए। लक्ष्य सौ करोड़ रुपये का ही था। यह वही समुदाय है जो कुछ समय पहले आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा में था।

धार्मिक स्थलों के निर्माण के साथ-साथ लोग ऐसे स्थलों में दान करने में भी उदारता दिखाते हैं। इस मामले में भारत के मुकाबले पश्चिम की स्थिति भिन्न नजर आती है। हाल तक दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्ति के तौर पर चर्चित बिल गेट्स ने पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर समाजसेवा के लिए एक कोष बनाया है। बिल एंड गेट्स फाउंडेशन वैज्ञानिक शोध के साथ समाज सेवा के लिए जमकर पैसा देता है। इस फाउंडेशन ने जानलेवा बीमारियों से बचाव और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किए हैं। बिल गेट्स ने अमेरिका के अरबपति कारोबारियों के साथ मिलकर 'गिविंग प्लेज' नामक जिस सोयायटी की स्थापना की थी उसके सदस्य यह शपथ लेते हैं कि वे अपनी संपत्ति का कम से कम आधा भाग सेवा कार्यों में व्यय करेंगे। निःसंदेह यह कहना गलत होगा कि पश्चिम की तरह का सेवा भाव अपने देश में नहीं है। दान और सेवा की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। समय-समय पर समाज के धनीवर्ग ने अपनी संपत्ति गरीबों के बीच बांटी हैं। आजादी के बाद से यह परंपरा लुप्त सी होती दिखाई पड़ती है। गांधी जी को पूंजीपतियों की सदाशयता पर पूर्ण विश्वास था। यह उनकी प्रेरणा का ही परिणाम था कि बिड़ला, बजाज और टाटा जैसे घराने आजादी की लड़ाई में अपनी तरह से सहयोग करते थे। उद्योगपति जमना लाल बजाज के बारे में गांधी ने अपने हरिजन पत्र में लिखा था, ''मेरा कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने अपने शरीर, दिमाग और धन से पूरा सहयोग न दिया हो। गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने में अनेक बार टाटा से भी धन प्राप्त हुआ। टाटा ने भारत की गरीबी के कारणों के अध्ययन हेतु एक चेयर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थापित की थी। गांधी जी ने मोक्ष का पारंपरिक अर्थ भी बदला। जन्म-मरण बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष हासिल करने को उन्होंने अपना ध्येय नहीं बनाया। दरिद्र की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना।

दान को हिंदू धर्म में मानव के सर्वोत्तम गुणों में माना गया है। अलबरूनी लिखता है कि हिंदू धर्म में यह अनिवार्य है कि प्रतिदिन जितना अधिक संभव हो सके दान दें। अलबरूनी के अलावा अन्य विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि धन और संपत्ति की प्रचुरता के बावजूद भारतीय त्यागमय जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। महाभारत में सेवा कार्य के लिए संपूर्ण आय का एक तिहाई हिस्सा व्यय करने की हिदायत है।

धर्मग्रंथों में त्याग के साथ भोग की बात कही गई है। जरूरतमंद को दान देना और मानव सेवा ही ईश्वर पूजा है मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना भर ईश्वर पूजा नहीं है। विवेकानंद और टैगोर ने भी गरीबों की सेवा को ईश्वर भक्ति का समानार्थी कहा है। विवेकानंद का कहना था कि सच्ची ईश्वर उपासना वह है कि हम स्वयं को मानव जाति की सेवा में लगा दें। जब हमारा पड़ोसी भूखा मरता है तो मंदिर में भीड़ लगाने का कोई अर्थ नहीं। उनके अनुसार, ''मेरे जीवन का परम लक्ष्य उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है जो दुःखी विधवाओं के आंसू पोछने में असमर्थ है, जो अनाथ बच्चों को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्रों की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। जिन लोगों को दो जून भोजन भी नहीं मिलता उनसे ईश्वर की चर्चा कैसे की जाए? उनके लिए तो रोटी ही ईश्वर है। अर्थ ही आध्यात्म है। भूखे और बेरोजगार के सामने ईश्वर एक ही रूप में प्रकट होने का साहस कर सकता है और वह है काम और भोजन के रूप में।''

हालांकि कुछेक भारतीय पूंजीपति समाज सेवा में सक्रिय हुए हैं और उन्होंने कई उल्लेखनीय काम भी किए हैं, लेकिन यह समय की मांग है कि भारत में भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे फाउंडेशन स्थापित हों और विशाल संपदा अर्जित करने वाले लोग आधी हिस्सा न सही, कुछ हिस्सा उन कार्यों में खर्च करें जिनसे गरीबी दूर करने में मदद मिले। यह समय की मांग है कि परोपकार की परंपरा को पुष्ट किया जाए और साथ ही उसे एक नई दिशा और ध्येय भी दिया जाए। गैर बराबरी को दूर करने के ठोस प्रयास इसलिए होने चाहिए, क्योंकि विषमता के दुष्प्रभाव से धनी भी बच नहीं सकते। जिन्हें विदेशी संस्थाओं और ईसाई मिशनरियों के सेवा भाव के तौर-तरीकों पर आपत्ति है उनकी तो यह जिम्मेदारी बनती है कि निर्धनता और विषमता को दूर करने का काम करने वाली भारतीय संस्थाएं स्थापित हों। यह कहीं परोपकार की पुरानी परंपरा के क्षीण होने का परिणाम तो नहीं कि अपने देश में धार्मिक स्थलों का निर्माण तो खूब होता है, लेकिन अच्छे स्कूल और अस्पताल कम ही बनते हैं।

(लेखक जेएनयू में ग्रीक चेयर प्रोफेसर रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अंधी दौड़

वर्तमान में जहां देखो, वहां अंधी दौड़ जारी है। इसमें मनुष्य यह भूल जाता है कि वह इस धरा पर भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति जोड़ने आया है। मनुष्य कितनी अधिक मात्रा में भौतिक संपदा क्यों न जोड़ ले, वह उसके साथ नहीं जाती है। वह खाली हाथ यहां आया था और खाली हाथ ही विदा होगा। जब किसी का निधन होता है तो लोग उसके बारे पूछते हैं कि वैसा था? इसका आश्रय यही होता है कि अमुक व्यक्ति बौद्धिक गुणों से वैसा था- संवेदनशील, मधुभाषी, संतोषी, परोपकारी था या फिर अहंकारी, अभिमानी, पतित, षड्यंत्रकारी, भ्रष्टाचारी आदि था? किसी भी मनुष्य की शवयात्रा में लाखों की भीड़ हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह भीड़ उसके व्यक्तित्व के प्रभाव से आई है या उसके पैसे के दम पर?

कहने का सार यही है कि मनुष्य का जीवन अंधी दौड़ों में खर्च करने में नहीं, बल्कि बौद्धिक गुणों का विकास करने के लिए है। मनुष्य के लिए सद्गति का मार्ग यही है और इसी से उसके जीवन में सच्ची सुख-शांति और सम्मान प्राप्त होता है। हमारे ग्रंथों एवं साहित्य में जीवन का सार यही है कि सादा जीवन, उच्च विचार। अर्थात जिसका जीवन साधारण, लेकिन विचार उच्च हों, वही पवित्र और संतोषी है। आज के जीवन में जो असंतोष, हड़बड़ी, मारामारी, व्यर्थ की भागदौड़, ईर्ष्या, तनाव, रोग, शोक आदि हैं, वे सादा जीवन, उच्च विचार के अभाव से हैं। हमारी इच्छाओं और वासनाओं का कोई अंत नहीं है और ये ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण हैं। विकास और तरक्की की अंधी दौड़ ने हमें दुनिया के बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों से ही हमें दूर कर दिया। हम भीड़ में अकेले रह गए हैं। हमारे आसपास सुख-सुविधाओं का अंबार लगा है, लेकिन फिर भी हम अंदर से अशांत हैं।

लोग समय से आगे निकलने की चाह में अच्छे इंसान भी नहीं बन सके हैं। हमारी बुद्धि का इतना विकास हो गया कि भावनाएं खत्म गईं। विज्ञान के युग में हम ज्ञान से लबरेज हो गए, लेकिन हमारा जीवन ज्ञान कोरा हो गया। दुनिया एक गांव में सिमट रही हो, लेकिन मानवता की दुनिया हमसे कहीं दूर चली गई। शायद हम यह भूल गए हैं कि शांति और संतोष पाने के लिए हमें किसी दौड़ में शामिल नहीं होना होता, बल्कि वे हमारे भीतर ही हैं।

आचार्य अनिल वत्स

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सुराज्य स्थापना का अवसर

स्वराज्य को सुराज्य में बदलने का अवसर शीर्षक से लिखे अपने लेख में उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रत्येक भारतीय को देश की खातिर निःस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ न्योछावर करके देश को आजाद कराने वाले देशभक्तों की राह पर चलने को कहा है। शत-शत प्रणाम है उन महान शहीद देशभक्तों को जिनकी बदौलत आज हम सभी एक आजाद देश में आजादी से रह रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयत्न करूंगा जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी यह अहसास हो कि यह देश उसका है, इसके निर्माण में उनका योगदान है, उसकी आवाज का यहां महत्व है। उनकी बातों को आजाद देश के अधिकांश राजनेता और नौकरशाह भूल गए हैं, तभी तो आज गण और तंत्र के बीच फासला बढ़ता जा रहा है या फिर महात्मा गांधी के सपनों के संविधान को आज कोई पूरा करने वाला नहीं है। आज सबको कुर्सी और धन दौलत की भूख है? आज गण पर तंत्र का हावी होना यह दर्शाता है कि देश की राजनीति और नौकरशाही में स्वार्थी-लालची लोगों की बढ़ोतरी हो रही है और देशभक्तों की कमी। गण के तंत्र में आई इस खोट को दूर करने में गण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। गणतंत्र की आन-बान और शान के लिए देश के हरेक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय का क्यों न हो अपने अंदर देशभक्ति की भावना भरनी चाहिए।

raju09023693142@yahoo.com

कानून का क्रियान्वयन जरूरी

आपराधिक संशोधन विधेयक 2018 में महिला उत्पीड़न पर नए रूप से सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से 12 साल की कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म होने पर दोषी को फांसी की सजा मिलेगी। वास्तव में यह कानून मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद लाया गया। उसके बाद कई राज्यों में भी इसे अपनाया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में कड़ी सजा के प्रावधान के बाद भी वहां की बेटियां कई जगह अपराधों की शिकार हुई हैं। इससे साफ पता चलता है कि सख्त कानून के बाद भी इसका लाभ नहीं मिला। इसलिए कानून के साथ इसके क्रियान्वयन को भी गंभीरता से लेना होगा।

shivendratiwari069@gmail.com

करुणानिधि को विदाई

नाम से ही व्यक्तित्व का पता लग जाता है। किसी भी तरह की उपाधि इंसान को एक-दो दिन में नही मिलती, इसके पीछे सालो की मेहनत छुपी होती है। जस्टिस पार्टी के अलगिरिस्वामी के एक भाषण से प्रेरित होकर करुणानिधि ने 14 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया। इस उम्र में राजनीति में आना अचंभित करता है। 80 साल का राजनीति का करियर काफी लंबा वक्त है।

मनोज शर्मा, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, दिल्ली

हौसला बढ़ेगा

दिल्ली-एनसीआर में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगने वालों की लंबी कतार देखी जा सकती है। इन भीख मांगने वालों के पीछे बड़े -बड़े गिरोह काम करते हैं। कुछ ठीक-ठाक लोग भी बाहर से यहां भीख मांगने आते हैं। इसका कारण इसमें अधिक कमाई का होना है। अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में नहीं माना है और साथ ही कहा है कि अगर सरकार चाहे तो भीख मांगने वाले गिरोहों पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बना सकती है। यह फैसला तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि इनमें बहुत से लोग मजबूरी में भीख नहीं मांग रहे होते हैं। कई अन्य आपराधिक कृत्य में भी लिप्त रहते हैं। इस फैसले से भीख मांगने और मंगवाने वालों के हौसले बढ़ेंगे।

विजय कुमार धानिया, नई दिल्ली

पुराने शहरों की दशा सुधारी जाए

आज भारत की 34 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में निवास करती है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक देश की 814 मिलियन आबादी शहरों में निवास करेगी, लेकिन नए शहरों की कमी और मौजूदा शहरों की खस्ता हालत तथा उपयुक्त व्यवस्था ना होने के कारण यह आबादी एक समस्या का रूप ले लेगी। इस बढ़ती आबादी के हिसाब से हमें नए शहरों की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में सरकार ने 90 स्मार्ट शहर परियोजना के अंतर्गत 2864 प्रोजेक्ट चलाए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 148 ही समय रहते पूरा हो पाए और बाकी के आधे अधूरे हैं। बढ़ती आबादी का भार उठाने के लिए हमारे शहरों में मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है जिसमें कि स्वच्छ पानी, पब्लिक यातायात, सभी के लिए घर और एक तंदुरुस्त सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम जिसके माध्यम से शहरों के जीवन स्तर को बरकरार रखा जा सके। मौजूदा जरूरत को पूर्ति करने के लिए सरकार को 10 मिलियन से अधिक नए घरों के निर्माण की जरूरत पड़ेगी जिसमें लोगों का आवास उपलब्ध कराया जा सके। किसी भी शहर को शहरी दर्जा प्राप्त होता है जब उसकी 75 प्रतिशत से ज्यादा की आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। ऐसे में निश्चित तौर पर उद्योग और सेवा क्षेत्र का शहरों के माध्यम से विस्तार होगा। वहीं कृषि क्षेत्र पर इसका दवाब घटेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे शहरों में जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने का है। मौजूदा शहरों में उचित व्यवस्था न होने के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका मुख्य कारण उसे एक नियोजित ढंग से बसाया ना जाना और आबादी के बढ़ते बोझ के साथ-साथ सुधार ना होना। वर्तमान में मुंबई में बाढ़ की समस्या, दिल्ली में डेंगू की समस्या, बेंगलुरु में तालाबों के सूखते जाने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में एक बेहतर जीवन स्तर की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है।

नीरज झा, दिल्ली विवि

ट्वीट-ट्वीट

निजी और पत्रकारीय गर्व अपने पुराने मित्र हरिवंश को राज्य सभा के सद्य निर्वाचित उप सभापति के रूप में अपना पहला भाषण देते सुनना। वह न केवल हिंदी के प्रखर, विशिष्ट, सम्मानित संपादक रहे हैं, बल्कि जदयू सांसद के रूप में भी अपने शोधपूर्ण, प्रेरक भाषणों से एक अलग गंभीर छवि बना चुके हैं।

राहुल देव@rahuldev2

राज्यसभा उपसभापति के चुनाव में विपक्षी एकता के मिथक की एक बार फिर कलई खुल गई। इसमें एक हकीकत और सामने आई कि बीजद और टीआरएस जैसी क्षेत्रीय पार्टियां 2019 तक अपने पत्ते खुले रखना चाहती हैं और सत्ता में हिस्सेदारी ही उनकी इकलौती विचारधारा होगी। महागठबंधन अभी भी खान मार्केट की फंतासी है।

शेखर गुप्ता@ShekharGupta

अगर कांग्रेस पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी को समर्थन न दिया होता तो आज वह इतिहास के पन्नों में दफन हो गई होती।

अजय माकन@ajaymaken

जम्मू के सुंजवान में रोहिंग्या शरणार्थी झुग्गी पर छापे में 30 लाख रुपये बरामद हुए। आरोपी फरार। हवाला का संदेह है। वे न अवैध रूप से घुस रहे हैं, बल्कि संवेदनशील सैन्य ठिकानों के नजदीक बस रहे हैं। अवैध गतिविधियों में तो शामिल है हीं।

गौरव सी सावंत@gauravcsawant

जनपथ

जीते हरि हारे हरी हरि ही हैं हर ओर,
इक हरि मारे मन रहे इक हरि के मन मोर।
इक हरि के मन मोर नाचता जैसे सावन,
दूजे हरि को हार लग रही परम लुभावन।
पहले मत-विश्वास गंवाकर बैठे रीते,
अब नंबर थे पास मगर फिर भी ना जीते!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 24